278

संख्याः–993/XIV–1/2010–06(10)/2010

प्रेषक,

डॉ0पी0एस0गुसांई,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियां,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभागः–1 देहरादूनः दिनॉकः २8 मई, 2012

विषय– राज्य के समस्त सहकारी बैंकों में सी0बी0एस0/कम्प्यूटरीकरण एन0आई0सी0 के स्थान पर नाबार्ड के माध्यम से कराए जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक– 1016/अधि0–सं0का0/कम्प्यूटराइजेशन/2012–13 दिनांक 21 मई, 2012 एवं नाबार्ड के पत्र सं0–NB. Uttarakhand/IDD-50(CBS)/348/2012-13 दिनांक 19 अप्रैल, 2012 व पत्र संख्या–NB.UKRO.DDN/IDD50/2012-13 दिनांक 17 मई, 2012–13 द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के अनुक्रम में राज्य के सहकारी बैंकों में कोर बैंकिंग सिस्टम (सी0बी0एस0) लागू करने में एन0आई0सी0 के द्वारा कराए जा रहे कार्यों की अत्यंत धीमी प्रगति व इसके दि0 31 मार्च, 2013 की आर0बी0आई0 के द्वारा निर्धारित तिथि तक पूर्ण न होने की सम्भावना तथा नाबार्ड के प्रस्ताव पर समस्त सहकारी बैंकों के अनुरोध के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त व्यवस्था को लागू करने की समयबद्धता के दृष्टिगत उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2008 के नियम 64 के अन्तर्गत सहकारी बैंकों में सी0बी0एस0 लागू करने का कार्य तत्काल प्रभाव से नाबार्ड को दिए जाने की श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करते हैं कि नाबार्ड द्वारा आर0बी0आई0 के दिशानिर्देश व अपनी वचनबद्धता के अनुरूप यह कार्य दिनांक 31 मार्च, 2013 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कर लिया जाएगा।

2. उक्त के फलस्वरूप निबन्धक के द्वारा राज्य सहकारी बैंकों की ओर से नाबार्ड से अनुबन्ध का प्रारूप प्राप्त करके उसे तत्काल निष्पादित करवाने की कार्यवाही की जाएगी।

3. समस्त सम्बन्धित सहकारी बैंकों के जनपद स्तरीय सचिव/महाप्रबन्धक के द्वारा नाबार्ड से समन्वयन करके उक्त कम्प्यूटरीकरण हेतु हार्डवेयर का कय अधिप्राप्ति नियमावली की व्यवस्थाओं का अनुपालन प्राथमिकता के आधार पर करके तथा डाटा माइग्रेशन की कार्यवाही आउटसोर्सिंग के माध्यम से समयबद्ध रूप में कराकर

सी0बी0एस0 पर जनपदवार हुई मासिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

4. एन0आई0सी0 से जिन दो जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट को लागू करने में यदि उनके सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर लिया गया है तो उसका उनको नियमानुसार भुगतान करके शेष धनराशि बैंक के द्वारा वापस प्राप्त कर ली जाएगी।

भवदीय,

/

(डॉ0पी0एस0गुसांई)
सचिव।

संख्याः–993 (1)/XIV–1/2012, तद्दिनांक,

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महानिदेशक, एन0आई0सी0, नई दिल्ली।
2. मुख्य महाप्रबन्धक,नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय,देहरादून।
3. एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि जिला सहकारी बैंकों द्वारा सी0बी0एस0 हेतु एन0आई0सी0 को उपलब्ध कराई गई धनराशि में से तत्काल प्रभाव से समस्त अवशेष धनराशि सम्बन्धित बैंकों को अविलम्ब वापस कर दी जाए।
4. निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।
5. प्रबन्ध निदेशक, राज्य सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड।
6. सचिव/महाप्रबन्धक, समस्त जिला सहकारी बैंक, उत्तराखण्ड को प्रकरण में समयबद्ध आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
उपसचिव।